

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****Original Application No. 211/2024****SANJAY AGARWAL****...APPLICANT****VERSUS****STATE OF UTTARAKHAND & ORS.****...RESPONDENT'S****INDEX**

S.NO	PARTICULARS	PAGE No.
1.	Counter affidavit on behalf of Respondent No.10	1-9
2.	ANNEXURE R/1 Copy of the sale deed dated 04.02.2015	10-25
3.	ANNEXURE R/2 Copy of the sale deed dated 30.10.2023	28-46
4.	ANNEXURE R/3 Copy of the sale deed dated 26.04.2016	47-65
5.	ANNEXURE R/4 Copy of the sale deed dated 08.08.2011	66-76
6.	ANNEXURE R/6 Copy of Master plan of Rishikesh	77-78
7.	ANNEXURE R/7 Copy of Government order dated 27.12.2021	79-80
8.	ANNEXURE R/8 Copy of photographs of the township	81-85

	developed adjacent to the said land along with satellite image of the said buildings.	
9.	ANNEXURE R/9 Copy of photographs of the said water outlet along with water and electricity bills.	86-93
10.	ANNEXURE R/10 Copy of rules of the development authority, government order and sewage receipts.	94-116
11.	VAKALATNAMA	117

12. proof of service

118



Filed on: 06.11.2024

ROHIT PANDEY

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,


Hailey Road, New Delhi

Rohit.pandey4587@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****Original Application No. 211/2024****SANJAY AGARWAL****...APPLICANT****VERSUS****STATE OF UTTARAKHAND & ORS.****...RESPONDENT'S****COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 10**

I, Lalit Mohan Mishra, S/o Lt. Kamal Narayan Mishra, R/o 10/1 Dehradun ROAD, Rishikesh, aged about 49, I am the respondent no. 10 in the aforesaid Original Application do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That, I am the respondent no. 10 in the aforesaid Original Application and fully acquainted with the facts and circumstances of the case and, hence competent to swear this affidavit in the above captioned matter.
2. That I have read the Notice by the National Green Tribunal on the basis of the facts mentioned before the Hon'ble Bench and fully understood the same and I state that same are Incorrect, misleading thus the contents of the same are denied.
3. At the very outset, it is submitted that the contents/averments in the above captioned original application to the extent not specifically adverted to and replied herein shall be deemed to have



Lalit/M.M.

(2)


been traversed in extensor and denied by the Respondent No. 10 save and except those which are expressly admitted hereinafter.

4. It is humbly submitted that the Respondent No 10 reserves its rights to add, modify or otherwise elaborate its reply, averments, contention, submissions and to place on record further annexures/ documents as may be required or as and when directed by this Hon'ble Court.

5. PRELIMINARY SUBMISSIONS

- (a) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that the complainant/informant is himself involved in constructing buildings/residences in the same area, adjacent to the disputed residential buildings. He has not approached this tribunal with clean hands, as he is a co-purchaser, which is clearly reflected in the sale deed dated 04.02.2015, and has actively participated in constructing a similar building next to the said land. This complaint appears to stem from a personal vendetta rooted in enmity with his partners. Copy of the sale deed dated 04.02.2015 is Annexed here as **Annexure R/1 from page 10 to 25**.

- (b) Furthermore, it is relevant to note that respondents no. 1 to no. 3 did not take any action concerning the development or construction of these buildings until after the National Green Tribunal intervened. These authorities were aware of an already developed township in the area, which was established even before the construction of these buildings, without approved maps or NOCs. The department itself




Subh/M.12

acknowledged in its report that no approvals can be granted for such development in this area.

- (c) The brief facts of the present case are that Respondent No. 7 purchased this land in 2023 from the previous owner, Mrs. Bharat Singh, through a sale deed dated 30.10.2023. In the sale deed, the respondent was informed that the land was free from any encumbrances. Additionally, he was advised that he could proceed with constructing a residential building, noting that the township includes adjacent residential, commercial, and hotel properties. Copy of the sale deed dated 30.10.2023 is marked as **Annexure R/2** from page 26 to 46.
- (d) It is also important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the executed sale deed is not the first instance where this land was involved in a transaction. The land had previously been sold on three prior occasions (total 4), as can be clearly understood from the table provided below:

S No	DETAILS OF THE SELLER	DETAILS OF THE BUYER	DATE OF EXECUTED SALE DEED	ANNEXURE	PAGE NO.
1	BHARAT SINGH	LALIT MOHAN MISHRA	30.10.2023	R/2	26-46
2	ANSHU DESHWAL	BHARAT SINGH	26.04.2016	R/3	47-65
3	NAVEEN KUMAR	ANSHU DESHWAL	08.08.2011	R/4	66-76


Lalit / 14.11



- (e) It is important to bring to the attention of this Hon'ble Court that the photographs annexed to the aforementioned sale deeds clearly show that the constructions adjacent to the said land were already in place before the registration of the sale deeds. This is evident from the pages referenced in the table below:

S No.	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	R/2	33
2.	R/3	63
3.	R/4	

- (f) It is also important to mention before this Hon'ble Court that the said land, along with the adjacent lands, is categorized under "Krishi Hari Pattika" as per the Master Plan Rishikesh, and not under "Hari Shreni," as observed by this Hon'ble Court. Copy of Master Plan Rishikesh is annexed here as **Annexure R/5 from page 77 to 78**.
- (g) It is pertinent to bring to the attention of this Hon'ble Court that, as evident from the designation in the Rishikesh master plan, the term "Krishi Hari" in "Krishi Hari Pattika" refers to land designated by the government specifically for agricultural purposes. Contrary to previous statements made before this Hon'ble Court, this land does not fall under the




Handwritten signature/initials

category of "Hari Shreni," as it lacks any trees and covered forests.

- (h) It is submitted that a crucial fact has been concealed from this Hon'ble Court: the constructions adjacent to the respondent's buildings were erected years before the respondent's residential buildings, commercial complexes and Hotels. None of these constructions have had their maps approved by the development authorities, as the said land falls under the "Krishi Hari Pattika" category.
- (i) It is also submitted before this Hon'ble Court that the area in question has been converted from a village to a Nagar Panchayat. This rural-to-urban conversion was undertaken in accordance with the law, following an increase in the population from 12,000 to 40,000, reflecting the area's development into a city. This transition was formalized by a State Government order dated 27 December 2021. Copy of the Government order dated 27 December 2021 is annexed here as **Annexure R/6** from page 79 to 80.
- (j) Furthermore, a fact that has been concealed from this Hon'ble Court is that not only the buildings mentioned in the aforesaid table have been constructed adjacent to the respondent's residential buildings, but an entire city has been developed in the area. This stands in stark contrast to the action being taken solely against the respondents. Copy of photographs of entire developed city adjacent to these buildings along with satellite image of the said township are

2/11/21




6

annexed here as **Annexure R/7** from page 81 to 85.

(k) The petitioner respectfully submits before this Hon'ble Court that the cognizance taken by this Court, as mentioned in the attached notice, raises valid concerns regarding the dumping of construction material into the natural stream. However, the respondent clarifies that the water outlet referred to as a natural stream is not a permanent water body. It is, in fact, a seasonal water outlet that functions only during the rainy season to channel water from the mountains and remains dry for the rest of the year and also the said respondent has used paid water and electricity at the time of the construction. The copy of the photographs of the water outlet along with bills of electricity and water supplied at the time of construction are annexed here as **Annexure R/8** from page 86 to 93.

(l) The petitioner further respectfully submits before this Hon'ble Court that no construction material has been dumped into the said stream. During the same year, during the prolonged rainy season, the stream was operational. Had it not been functioning, as a fact various issues would have arisen, which did not occur during that period. Further it is strongly denied that the construction waste is being dumped into the said natural stream and the applicant has alleged the same without any proof which is clearly evident from the photographs annexed as **Annexure R/8**




6. PARAWISE REPLY

Juliet/11/17

(2)

- (a) The respondent fully denies the concern raised in point 02 regarding map approval. It has been clarified that neighbouring buildings were constructed earlier without any map approval, as the area falls under "Krishi Hari Pattika," where the development authority does not grant such approvals. The respondent contends that only the respondent is being singled out in this case. The copy of photographs are annexed here as **Annexure R/7**.
- (b) The respondent completely denies the concern raised in point 03 regarding the requirement to obtain NOCs from the air and water pollution control boards. Since the development authority can not approve maps in this area as land is in krishi hari pattika, no NOCs can be obtained. Furthermore, neighbouring buildings, including commercial structures, have also been constructed without obtaining such NOCs. The respondent's building, however, is intended for residential use.
- (c) The respondent fully denies the concern raised in point 04 regarding the installation of a sewage treatment plant, as this issue was raised by this Hon'ble Court but is not applicable to the property in question. According to development authority regulations of National Green Tribunal itself the building's area is _____ sq mt. and sewage treatment plants are only required for

Salil / M.M.




(8)

buildings exceeding an area of 10000 sq. mt wherein also the department has certified the sewage line and sewage connection in the said building as required as per government order. The copy of the rules of the development authority along with Government order and sewage receipts are annexed here as **Annexure R/09 from page 94 to 116**.

- (d) The respondent categorically denies the concern raised in point 05 by this Hon'ble Court, stating that no land associated with the rainwater disposal stream has been encroached upon or acquired during the construction of the residential building. The respondent asserts that all construction activities have respected the designated boundaries, ensuring that the natural water drainage pathways remain unaffected.

In light of the facts and submissions, the action taken by this Hon'ble Court concerning the alleged dumping of construction material in the rainwater disposal stream is entirely denied, as detailed in paragraph (J) of the Preliminary Submissions. No environmental laws have been violated in this regard, and the court's cognizance is based on concealed facts and is therefore liable to be dismissed.



[Handwritten Signature]
DEPONENT


VERIFICATION

I, the above-named deponent do hereby verify that the contents of para no. 1 to 4 are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed therein.

Verified and signed on this _____ day of _____, 2024 at
06 NOV 2024

I Identify the deponent who has Signed/Put T.I. in my presence

DEPONENT



ATTESTED
A.N. Singh, Adv.
Notary Public
Govt. of India, New Delh

06 NOV 2024

ROHIT PANDEY

ADVOCATE FOR THE RESPONDENT

Certified that the above named Deponent identify by their
Solemnly affirmed before me at Delhi
S No. 0556
The contents of the affidavit which have been read & explained to me are true and correct
Notary

Self (L.M. MISHRA)

LB 9 and 10, Gauri Sadan 5,

Hailey Road, New Delhi

Rohit.pandey4587@gmail.com

06 NOV 2024

विक्रय विलेख का वांछित विवरण		
1.	विक्रय मालियत प्रतिफल	- ₹31,40,000/-
2.	शासकीय मूल्यांकन	- ₹ 31,37,098/-
3.	स्टाम्प शुल्क	- ₹1,57,000/-
4.	स्टाम्प पृष्ठों की संख्या	- 13
5.	विवरण विक्रीत भूमि	- भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी धमान्दस्यू तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल है।
6.	मुख्य मार्ग से दूरी	- विक्रीत भूमि मुख्य ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।
7.	भूमि क्रय का प्रयोजन	- आवासीय प्रयोजन हेतु।
8.	सर्किल दर	- ₹10,192/- वर्ग मीटर।
9.	विक्रेता का नाम व पता	- (1) श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN No. AFGPS 2511N) (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री निशान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। द्वारा मुख्तारआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून।
10.	क्रेता का नाम व पता	- (1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून। (PAN No. AILPG6547R) (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (PAN No. AJRPG1850E) (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड़, देहरादून (PAN No. AFVPM9593G) (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (PAN No. ABTPA7137N) (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीचन्द्र गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून। (PAN No. AIFPG1650B)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'Rajendra', and 'Rajendra'.



UTTARAKHAND

254078



[2]



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 04-02-2015 को स्थान जिला टिहरी गढ़वाल में (1) श्रीगति सीता जौहर पत्नी श्री गानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री मानव जौहर पुत्र श्री मनजीत जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड़, ऋषिकेश, जिला देहरादून (2) श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (3) श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून द्वारा मुख्तारेआम श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे विक्रेतागण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

.....विक्रेतागण

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text 'विशेष अधिकारी' (Special Officer).

द्वितीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



[3]

ने



254074

(1) श्री निखिल गोयल पुत्र श्री अजय कुमार गोयल निवासी 18, आदर्श नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री अमित गोयल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल गोयल निवासी 15, पुराना डाकखाना मार्ग, मेन बाजार, ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री बंशी कुमार मित्तल पुत्र स्व० श्री चन्द्रभान मित्तल, निवासी-डिस्पेंसरी रोड, देहरादून (4) श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, निवासी-5, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून (5) श्री राजन गुप्ता पुत्र श्री गोपीबन्द गुप्ता, निवासी-15 पुराना डाकखाना मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून (जिनको इस विलेख में आगे क्रतारण कहकर सम्बोधित किया गया है) के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया।

क्रतारण

[Handwritten signatures and marks]

राज्य अग्रवाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY-FIVE THOUSAND RUPEES

राखण्ड UTTARAKHAND

254075

[4]

जैसा कि विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के संयुक्त स्वामी व अध्यासी है। विक्रेतागण ने वर्णित भूमि एक श्री नवीन कुमार पुत्र श्री किशन, निवासी-ग्राम तपोवन पट्टी धमान्दस्थ, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 05-04-2014 के माध्यम से क्रय की है जो कि रजिस्ट्रार कार्यालय जिला टिहरी गढ़वाल में बही नं०-1, जिल्द 37, पृष्ठ 505 से 516 पर दस्तावेज संख्या-34 पर दिनांक 07-04-2014 को विधिवत पंजीकृत है। इस प्रकार विक्रेतागण को उक्त वर्णित भूमि विक्रय एवं हस्तानांतरण इत्यादि करने के अधिकार कानूनन प्राप्त है।

B. Singh
Mr. Katar
जिला टिहरी गढ़वाल
[Signature]

[Signature]



UTTARAKHAND

254077

[5]

और जैसा कि विक्रेता श्रीमति मीता जौहर पत्नी श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने पति श्री मानव जौहर, निवासी-104/38, देहरादून रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनोंक 05-04-2014 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय टिहरी गढ़वाल में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-55, पृष्ठ 233 से 240 तक क्रमांक 29 पर दिनोंक 07-04-2014 को विधिवत् पंजीकृत है।

और जैसा कि विक्रेता श्री हर्षित मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून ने वर्णित भूमि की बावत् एक मुख्तारनामा आम अपने सगे भाई श्री निशान्त मलिक पुत्र श्री कमलकान्त मलिक, निवासी-175, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पक्ष में दिनोंक 13-10-2010 को निष्पादित किया है, जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश में बही संख्या-4, जिल्द संख्या-131, पृष्ठ 275 से 284 तक क्रमांक 389 पर दिनोंक 13-10-2010 को विधिवत् पंजीकृत है।

[Handwritten signatures and stamps]

239
16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राज्य उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

254076

[6]

और जैसा कि विक्रेतागण का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के विषय में पवित्र है तथा विक्रेतागण के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में ग्रहित नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बन्धक नहीं है। विक्रेता का अध्यात्म स्थल पर स्वच्छ है।

और जैसा कि विक्रेतागण को इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को विक्रीत करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। विक्रेतागण इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में क्रेतागण को विक्रीत करने को तैयार है तथा क्रेतागण उक्त धनराशि में इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रय करने को तैयार हैं।

[Handwritten signatures and stamps]
The image contains several handwritten signatures and stamps. One prominent signature is in the center, and another is on the right. There are also some illegible stamps or markings.



तराखण्ड UTTARAKHAND

254079

[7]

अतः विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-

- (1) यह कि उपरोक्त विक्रेतागण इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेतागण को अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि में विक्रीत, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करते हैं तथा भूमि पर स्वामी के रूप में क्रेतागण को आरूढ़ करते हैं। भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेतागण ने क्रेतागण को देकर भूमि पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन ₹31,40,000/- (₹ इकत्तीस लाख चालीस हजार मात्र) विक्रेतागण ने क्रेतागण से विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व नगद में प्राप्त कर ली है। विक्रेतागण समस्त विक्रय धनराशि की प्राप्ति उपनिबन्धक महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के समक्ष एतद्वार स्वीकार करते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि विक्रय प्रतिफल की एवज में कोई लेना-देना शेष नहीं रह गया है।

[Handwritten signatures and stamps]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

241
18



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


499206

[8]

(2) यह कि पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु विक्रेतागण निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं :-

- (क) यह कि विक्रेतागण ने इस विक्रय-विलेख की सूची में वर्णित भूमि का वास्तविक रिक्त अध्यासन क्रेतागण को स्थल पर सौंप दिया है।
- (ख) यह कि विक्रीत भूमि के संदर्भ में आज तक के समस्त कर आदि का भुगतान विक्रेतागण करेंगे और आज के उपरान्त समस्त कर आदि का भुगतान क्रेतागण करेंगे। क्रेतागण को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत भूमि के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम विक्रेतागण के स्थान पर दर्ज करवा लेवे, विक्रेतागण इस कार्य हेतु सदैव क्रेतागण की मदद को तैयार रहेगा।
- (ग) यह कि विक्रीत भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बन्धक नहीं है। यह भूमि विवादों व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।

[Handwritten signatures and stamps]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499207

[9]

- (घ) यह कि विक्रीत भूमि के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार व अधिकार जो वर्तमान में विक्रेतागण को उपलब्ध है और जो भविष्य में विक्रेतागण को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी क्रेतागण को अन्तर्लिप्त किये जा रहे हैं।
- (ड) यह कि यदि किसी समय पूर्ण स्वामित्व व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेतागण को विक्रेतागण की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेतागण द्वारा क्रेतागण के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेतागण, क्रेतागण की मांग पर, व क्रेतागण के व्यय पर उपरोक्त प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेंगे तथा उसका कारण बनेंगे।

[Handwritten Signature]
 Mr. Katar
 मजदूर (20) माला
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

245
20



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499208

[10]

(ख) यह कि यदि विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेतागण के किसी भी अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोष के कारण क्रेतागण के अधिकार अथवा अधीसन से निकल जाता है तो विक्रेतागण उसका पर्याप्त हजोला क्रेतागण को अदा करेंगे तथा अदा किये जाने का कारण बताने।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सत्य न्याय

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND


499209

[11]

- (3) यह कि विक्रीत भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दर्युं, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है तथा ऋषिकेश-बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से 300 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलक्टर टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्मित, भूमि एवं सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के अन्तर्गत विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन अंकन ₹ 10,192/- वर्ग मीटर है। इस प्रकार विक्रीत भूमि का शासकीय मूल्यांकन ₹ 31,37,098/- निर्धारित होता है। भूमि का विक्रय मूल्य अंकन ₹ 31,40,000/- (₹ इकतीस लाख चालीस हजार मात्र) है जिस पर नियमानुसार ₹ 1,57,000/- का स्टाम्प शुल्क समर्पित किया जा रहा है। भूमि अन्तरण में कोई वैध बाधा नहीं है।

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499210

[12]

- (4) यह कि विक्रेतागण व क्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। विक्रेतागण व क्रेतागण भारतीय नागरिक है। भूमि पर सिलिया अधिनियम लागू नहीं होता है। विक्रीत भूमि पर कोई वृक्ष, बाग तथा निर्माण नहीं है। विक्रेतागण द्वारा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करने में किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है और विक्रेतागण वर्तमान विक्रय-विलेख अंकित व निष्पादित करने हेतु सक्षम है।
- (5) यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मौजा तपोवन, पट्टी धमान्दस्थ, परगना व तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्रेतागण उत्तराखण्ड राज्य के मूलखातेदार की श्रेणी में आते हैं, क्रेतागण के परिवार में उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के पूर्व से अचल सम्पत्ति विद्यमान है। जिस कारण वर्तमान विक्रय विलेख के निष्पादन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या-1 वर्ष 2007) के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

499041

[13]


- (6) यह कि इस विक्रय विलेख में जहाँ जहाँ शब्द विक्रेतागण व क्रेतागण आया है, उससे उसका तात्पर्य व अर्थान्तर, उसके हित प्रतिनिधि, अन्तरिती, वारिसान, प्रतिनिधि व दाय्याद से लगाया जावेगा व समझा जावेगा।

विवरण भूमि

भूमिधरी भूमि पुराना खाता खतौनी संख्या-41 एवं नया खाता खतौनी संख्या-86 के अनुसार पुराना खसरा संख्या-65 नया खसरा संख्या-25 मि० कुल रकबा 368 वर्ग गज अर्थात् 307.80 वर्ग मीटर स्थित ग्राम तपोवन, पट्टी घमान्दस्थू तहसील नरेन्द्रनगर जिला दिहरी गढ़वाल है। जिसकी दिशाये निम्न प्रकार है :-

- | | | |
|------------|---|---|
| पूरब में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 67 फुट 5 इंच, |
| पश्चिम में | - | सम्पत्ति अन्य, सीमा नाप 50 फुट, |
| उत्तर में | - | बरसाती नाला, सीमा नाप 58 फुट 5 इंच, |
| दक्षिण में | - | 18 फुट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 54 फुट 5 इंच। |

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

693856

[14]

अतः यह विक्रय-विलेख उपरोक्त दिनांक, माह व वर्ष को विक्रेतागण व क्रेतागण ने साक्षीगणों के समक्ष अंकित कर हस्ताक्षरित कर दिया है, ताकि समय पर उपयोगी हो।

(श्रीमति मीता जोहर)
द्वारा मुख्तारआम श्री मानव जोहर
विक्रेता संख्या-1

(श्री निशांत मलिक)
विक्रेता संख्या-2

(श्री हर्षित मलिक)
द्वारा मुख्तारआम
श्री निशांत मलिक
विक्रेता संख्या-3

(श्री निखिल गोयल)
क्रेता संख्या-1

(श्री अमित गोयल)
क्रेता संख्या-2

(श्री बंशी कुमार मित्तल)
क्रेता संख्या-3

(श्री संजय अग्रवाल)
क्रेता संख्या-4

(श्री राजन गुप्ता)
क्रेता संख्या-5

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908, की धारा 32(ए) के अन्तर्गत अंगुलिया के निशान

विक्रेता का नाम :- श्री. एच. जी. जॉर्ज हस्ताक्षर HJ

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्का
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

विक्रेता का नाम :- श्री. एच. जी. जॉर्ज हस्ताक्षर HJ

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्का
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

विक्रेता का नाम :- श्री. एच. जी. जॉर्ज हस्ताक्षर HJ

	अनुष्ठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्का
बाँया हाथ					
दाँया हाथ					

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

26

Ammaurk



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023090102046

DISTRICT NAME :दिल्ली गवर्नाल SRO :

उत्तराखण्ड शासन

UKPDE2023090102046 From 16 Feb 2023

Verified & Locked
2023 7:16:53PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

17/13/2023

Mutation Office तहसील नरेन्द्रनगर

Deed/Article Type :Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article :Sale(Residential Plot)

Village/Location For Index :तपोवन -१, कपिकेश-देवप्रयाग-बद्रीनाथ मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :तपोवन -१, कपिकेश-देवप्रयाग-बद्रीनाथ मार्ग

Khewat : Khatoni :86

Khasra :27क

House/Flat No:

Area :96.6000 वर्ग मीटर

Latitude 30.1328610000

Longitude 78.3211000000

Land Value :2,894,000.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :4,000,000.00

Market Value :2,894,000.00

Advance :0.00

Lease Period :0.00

Avg. Rent :0.00

Stamp Duty :200,000.00

Regn Fees :25,000.00

Pasting Fees :100

Page :24

28

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तब	ह्रास वर्ष	रकम

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	घनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	25,000.00	---

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र.सं	भुगतान की विधि	घनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	200,000.00	---	27-Oct-2023	

Bhoru
नरेश कुमार

Tejinder Sharma

Handwritten signature

Handwritten signature

Report Date:

Appointment Time:

250 (22)


Appointment TokenNo:

Station Office तहसील नरेन्द्रनगर

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विधे	प्रथम पक्ष श्री भारत सिंह निर्वाण पुत्र श्री मूलचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	Bhola	PRIVATE JOB	AONPS8173 B	9927050384	ADHAAR : 5856 3907 3738
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री चरत सिंह निर्वाण पुत्र श्री मूलचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	चरत सिंह	PRIVATE JOB	AMGPN315 BC	9927050384	ADHAAR : 8509 3251 6027
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Pankaj Sharma	PRIVATE JOB	BBCPS4756 H	9897585777	ADHAAR : 9154 2173 5710
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री नितेश कुमार पुत्र श्री स्व विनोद कुमार निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Nitesh	PRIVATE JOB	AKZPM8334 N	9756599000	ADHAAR : 6506 7342 3848
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र श्री स्व कमल नारायण मिश्र निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Lalit Mishra	PRIVATE JOB	AGMPM666 BA	9927050384	ADHAAR : 9549 7722 8528
गवाह	श्रीमती शुभा गुप्ता पत्नी श्री सुनील गुप्ता निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Shubha Gupta	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 2016 8490 4816
गवाह	श्री सुनील गुप्ता पुत्र श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Sunil Gupta	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 3110 6105 0691

Deed Writer /Advocate Name :ATUL BISHT



विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र - नगर पंचायत क्षेत्र।
सम्पत्ति मूल्यांकन सूची दिनांक 16.02.2023 से प्रभावी सूची के अनुसार पृष्ठ सं० 106 के क्रम सं० 1 मौजा तपोवन तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून, आवासीय सर्किल दर मु० 28,522/रूपये प्रति वर्ग मीटर, भूमि में रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की दशा में समान्य दर पर 5 प्रतिशत अधिक यानि मु० 29,949/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया।

बद्रीनाथ-देवप्रयाग मुख्य सड़क से दूरी-	50 से 200 मीटर तक।
क्रेता	पुरुष।
मौजा	तपोवन।
क्षेत्रफल	96.60 वर्ग मीटर।
निर्माण	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र	40,00,000 /रूपये।
मुल्यांकन सर्किल दर के अनुसार	28,94,000 /रूपये।
भूमि का प्रकार	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	2,00,000/रूपये।
Latitude	30.132861
Longitude	78.3211
ई-स्टाम्प सं०	IN-UK

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (PAN- AONPS8173B)
(2) श्री चरण सिंह निर्वाण (PAN- AMGPN3158C) पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण
निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश। विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा (PAN- BBCPS4756H) पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार (PAN- AKZPM8334N) पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी० इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री ललित मोहन मिश्र (PAN - AGMPM6668A) पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून। क्रेतागण

(विवरण विक्रीत सम्पत्ति)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं० 86 (पुराना खाता सं० 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क (पुराना खसरा नं० 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेतागण के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेतागणों ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्री भारत सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 5856 3907 3738

विक्रेता :- श्री चरण सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 8509 3251 6027

क्रेता :- श्री पंकज शर्मा, आधार कार्ड सं० 9154 2173 5710

क्रेता :- श्री नितेश कुमार, आधार कार्ड सं० 6506 7342 3848

क्रेता :- श्री ललित मोहन मिश्र, आधार कार्ड सं० 9549 7722 8528

गवाह :- श्रीमती शुभा गुप्ता, आधार कार्ड सं० 2016 8490 4816

गवाह :- श्री सुनील गुप्ता, आधार कार्ड सं० 3110 6105 0691

यहकि नगर पंचायत तपोवन को उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग -3, शासनादेश सं० 1853/(2)/IV(3)/2021-01(2न०नि०) दिनांक 27.12.2021 को तपोवन घुघत्याणी तल्ली, घुघत्याणी मल्ली, पाथे मध्ये बिलखेत, तोक एवं जाभरीकाटल को नवगठित नगर पंचायत क्षेत्र तपोवन के रूप में गठित किया गया है। जिस कारण भूमि/सम्पत्ति पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू नहीं होता है।

भारत सिंह
चरण सिंह
पंकज शर्मा
नितेश कुमार
ललित मोहन मिश्र
शुभा गुप्ता
सुनील गुप्ता
-2-



विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) ~~श्री~~ भारत सिंह निर्वाण (2) श्री चरन सिंह निर्वाण
पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश।
विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर,
ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार
निवासी-10, आवास विकास, एल0आई0सी0 इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून
(3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून
रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून।
क्रेतागण

जोकि विक्रेतागणों की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त
में दिया गया है का विक्रेतागण मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार
के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की,
अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेतागणों ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से
श्रीमती अंशु देशपाल पत्नी श्री के०के० देशवाल से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का
पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 353 पृष्ठ 237 से 268 दस्तावेज नं० 361 पर दिनांक
26.04.2016 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत्
पंजीकृत है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि पूर्व विक्रेता श्रीमती अंशु देशवाल पत्नी श्री के०के०
देशवाल ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री किशन
शर्मा से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 283 पृष्ठ 1 से
10 दस्तावेज नं० 1072 पर दिनांक 08.08.2011 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग
जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि विक्रेतागणों ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व
इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा
से क्रेतागण (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा (2) श्री नितेश कुमार पुत्र
स्व० विनोद कुमार (3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र को
मु० 40,00,000/रूपये (चालीस लाख रूपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के
माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय
पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

Bharat
चरन सिंह

lalit/11.11

Pankaj Sharma
-3-

मु0 10,00,000 /रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 PUNBR52023101610065390 पंजाब नेशनल बैंक दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 10,00,000 /रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTRCNRBR520230101765648434 केनरा बैंक दिनांक 17.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 20,00,000 /रूपये (बीस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 PUNBR52023101319981199 पंजाब नेशनल बैंक दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार सौदे की कुल राशि मु0 40,00,000 /रूपये (चालीस लाख रूपये) विक्रेतागणों ने क्रेतागणों से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेतागणों को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेतागणों को करा दिया है क्रेतागणों को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेतागणों आज से विक्रेतागणों के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये हैं। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेतागणों को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेतागणों को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि— आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेतागणों की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि — आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेतागणों के कब्जे से विक्रेतागणों की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेतागणों से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेतागणों के उत्तराधिकारी, हित — प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगे।

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेतागणों एवं क्रेतागणों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

Bhargava
चरवाहा

Kalra

Ranjit Sharma

यहकि विक्रेतागण किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
यहकि विक्रेतागण एवं क्रेतागणों भारतीय नागरिक हैं।
यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय है।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत सम्पत्ति की भूमि का कुल क्षेत्रफल 96.80 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर निर्धारित सर्किल दर मय 5 प्रतिशत रोड राईडर सहित मु० 29,949/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु० 28,94,000/रूपये होता है, भूमि का विक्रय मूल्य मु० 40,00,000/रूपये है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क मु० 2,00,000/रूपये अदा किया गया है।

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी ग्रुप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

(विवरण विक्रीत भूमि)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं० 86 (पुराना खाता सं० 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क (पुराना खसरा नं० 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल, सम्पूर्ण सम्पत्ति की दिशाये इस प्रकार है:-

- पूरब में - सम्पत्ति श्री नवीन कुमार, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच।
- पश्चिम में - सम्पत्ति श्री राजेश कुमार अग्रवाल, सीमा नाप 71 फीट।
- उत्तर में - खाला, सीमा नाप 30 फीट।
- दक्षिण में - 25 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 30 फीट।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार विक्रेता	नाम श्री भारत सिंह निर्वाण	हस्ताक्षर
बाया हाथ: (Left Hand) अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

दायां हाथ: (Right Hand) अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Bharat
निर्वाण

Ramkay Sharma

MSD

-5-
Kakre/11-17

मौके की फोटो


प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (2) श्री चरम सिंह निर्वाण
पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश।

विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर,
ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार
निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी० इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून
(3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून
रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून।

क्रेतागण

दिनांक 27.10.2023



ह० विक्रेतागण

ह० क्रेतागण

Bharat Singh
भारत सिंह

Pankaj Sharma
पंकज शर्मा

Nitesh Kumar
नितेश कुमार

Pankaj Sharma

4- पक्षकार, क्रेता
बाया हाथ: (Left Hand) अंगूठा

नाम
तर्जनी

(3) श्री ललित मोहन मिश्र हस्ताक्षर
मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



दायां हाथ: (Right Hand) अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27.10.2023 ई0 को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल, में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह0 विक्रेतागण

(1) श्री भारत सिंह निर्वाण

(2) श्री चरल सिंह निर्वाण

ह0 गवाह

श्री शुभा गुप्ता
पत्नी श्री सुनील गुप्ता
निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश
जिला देहरादून।

ह0 क्रेतागण

(1) श्री पंकज शर्मा

(2) श्री नितेश कुमार

(3) श्री ललित मोहन मिश्र

ह0 गवाह

श्री सुनील गुप्ता
पुत्र श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता
निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश
जिला देहरादून।


हम गवाहान के समक्ष दोनों पक्षकारों (विक्रेतागण व क्रेतागण) ने इस लेख पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये है, विक्रीत भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व व विक्रय मुल्य के भुगतान व प्राप्ति के सम्बन्ध में हम गवाहान को कोई जानकारी नहीं है।

विक्रेतागण एवं क्रेतागण के कथनानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रचियता :-

अतुल
Court Compo डवोकेड

बही संख्या 1 जिल्द 867 के पृष्ठ 397 से 424 पर क्रमांक 1713

पर आज दिनांक 30 Oct 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
30 Oct 2023



259 (36)



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2023090102045

DISTRICT NAME : दिल्ली नगरपालिका SRO : Verified & Locked

उपराज्य शासन

UKPDE2023090102045 From 16 Feb 2023

27-Oct-2023

7:18:47PM

Appointment Date:

Appointment Time:

Appointment TokenNo:

Mutation Office तहसील नरेन्द्रनगर

17/12/2023

Deed/Article Type : Sale (Immovable)

Sub-Deed/Sub-Article : Sale (Residential Plot)

Village/Location For Index : तपोवन - १, फाफिकेश-देवप्रयाग-बद्रीनाथ मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList : तपोवन - १, फाफिकेश-देवप्रयाग-बद्रीनाथ मार्ग

Khewat : Khatoni : 86

Khasra : 27क

House/Flat No:

Area : 96.6000 वर्ग मीटर

Latitude : 30.1328610000

Longitude : 78.3211000000

Land Value : 2,894,000.00

Construction Value : 0.00

Transaction Value : 4,000,000.00

Market Value : 2,894,000.00

Advance : 0.00

Lease Period : 0.00

Avg. Rent

: 0.00

Stamp Duty : 200,000.00

Regn Fees : 25,000.00

Pasting Fees : 100

Page : 26

32

व्यवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तब	हास वर्ष	रकबा
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र.सं	पुनरादान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	25,000.00	—		
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र.सं	पुनरादान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टाम्प विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	200,000.00	—	27-Oct-2023	

Bharat
नरेन्द्रनगर

1 amkur Sharmar

17/12/23

Date:

Appointment Time:


Appointment TokenNo:

Job Office तहसील नरेन्द्रनगर

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पट्टबान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री भारत सिंह निर्वाण पुत्र श्री मूलचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	Bharat	PRIVATE JOB	AONPS8173 B	9927050384	ADHAAR : 5856 3907 3738
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री भरत सिंह निर्वाण पुत्र श्री मूलचंद निर्वाण निवासी उत्तर प्रदेश	भरत सिंह	PRIVATE JOB	AMGPN315 8C	9927050389	ADHAAR : 8509 3251 6027
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरिदत्त शर्मा निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Pankaj Sharma	PRIVATE JOB	BBCPS4756 H	9897585777	ADHAAR : 9154 2173 5710
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री नितेश कुमार पुत्र श्री स्व विनोद कुमार निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Nitesh	PRIVATE JOB	AKZPM8334 N	9756599000	ADHAAR : 6506 7342 3848
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र श्री स्व कमल नारायण मिश्र निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Lalit Mishra	PRIVATE JOB	AGMPM666 8A	9927050384	ADHAAR : 9549 7722 8528
गवाह	श्रीमती शुभा गुप्ता पत्नी श्री सुनील गुप्ता निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Shubha Gupta	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 2016 8490 4816
गवाह	श्री सुनील गुप्ता पुत्र श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता निवासी ऋषिकेश जिला देहरादून	Sunil Gupta	PRIVATE JOB		9259757907	ADHAAR : 3110 6105 0691

Deed Writer /Advocate Name :ATUL BISHT



विक्रय पत्र

प्रमुख क्षेत्र	-	नगर पंचायत क्षेत्र।
सम्पत्ति मूल्यांकन सूची दिनांक 16.02.2023 से प्रभावी सूची के अनुसार पृष्ठ सं० 106 के क्रम सं० 1 मौजा तपोवन तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून, आवासीय सर्किल दर मु० 28,522/रूपये प्रति वर्ग मीटर, भूमि में रास्ता 5 मीटर से अधिक व 12 मीटर से कम चौड़ा होने की दशा में समान्य दर पर 5 प्रतिशत अधिक यानि मु० 29,949/रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया।		
बद्रीनाथ-देवप्रयाग मुख्य सड़क से दूरी-		50 से 200 मीटर तक।
क्रेता	-	पुरुष।
मौजा	-	तपोवन।
क्षेत्रफल	-	96.60 वर्ग मीटर।
निर्माण	-	निर्माण नहीं है।
मालियत विक्रय पत्र	-	40,00,000 /रूपये।
मूल्यांकन सर्किल दर के अनुसार	-	28,94,000 /रूपये।
भूमि का प्रकार	-	आवासीय।
कुल स्टाम्प शुल्क	-	2,00,000/रूपये।
Latitude	-	30.132861
Longitude	-	78.3211
ई-स्टाम्प सं०	-	IN-UK

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (PAN-AONPS8173B)
(2) श्री चरण सिंह निर्वाण (PAN-AMGPN3158C) पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण
निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश। विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा (PAN-BBCPS4756H) पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर, ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार (PAN-AKZPM8334N) पुत्र स्व० विनोद कुमार निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी० इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून (3) श्री ललित मोहन मिश्र (PAN-AGMPM6668A) पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून। क्रेतागण

(विवरण विक्रीत सम्पत्ति)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं० 86 (पुराना खाता सं० 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं० 27क (पुराना खसरा नं० 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल।

यहकि विक्रीत भूमि विक्रेतागण के स्वामित्व वाली भूमि है तथा विक्रीत भूमि विक्रेतागणो ने किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं की है।

विक्रेता :- श्री भारत सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 5856 3907 3738

विक्रेता :- श्री चरण सिंह निर्वाण, आधार कार्ड सं० 8509 3251 6027

क्रेता :- श्री पंकज शर्मा, आधार कार्ड सं० 9154 2173 5710

क्रेता :- श्री नितेश कुमार, आधार कार्ड सं० 6506 7342 3848

क्रेता :- श्री ललित मोहन मिश्र, आधार कार्ड सं० 9549 7722 8528

गवाह :- श्रीमती शुभा गुप्ता, आधार कार्ड सं० 2016 8490 4816

गवाह :- श्री सुनील गुप्ता, आधार कार्ड सं० 3110 6105 0691

यहकि नगर पंचायत तपोवन को उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग -3, शासनादेश सं० 1853/(2)/IV(3)/2021-01(2न०नि०) दिनांक 27.12.2021 को तपोवन घुघत्याणी तल्ली, घुघत्याणी मल्ली, पाथे मध्ये बिलखेत, तोक एवं जामरीकाटल को नवगठित नगर पंचायत क्षेत्र तपोवन के रूप में गठित किया गया है। जिस कारण भूमि/सम्पत्ति पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू नहीं होता है।


Bharat Singh

चरण सिंह

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma -2

1197



Bharat Singh



Ravi



Ravi



Ravi

-2-

विक्रय पत्र

प्रथमपक्ष/विक्रेता:- (1) श्री भारत सिंह निर्वाण (2) श्री चरण सिंह निर्वाण
पुत्रगण श्री मूलचन्द निर्वाण निवासी-ई-134, शास्त्रीनगर मेरठ, उत्तर प्रदेश।

विक्रेतागण

द्वितीयपक्ष/क्रेता:- (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा निवासी-गंगानगर,
ऋषिकेश जिला देहरादून (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार
निवासी-10, आवास विकास, एल०आई०सी० इमारत ऋषिकेश जिला देहरादून
(3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र निवासी- देहरादून
रोड, ऋषिकेश जिला देहरादून।

क्रेतागण

जोकि विक्रेतागणों की अपनी भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में दिया गया है का विक्रेतागण मालिक, स्वामी व काबिज है निम्न वर्णित भूमि हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, कर्जा, सरकारी, गैर सरकारी, पारिवारिक वाद-विवाद, कुर्की, अदालत आदि-आदि से पाक एवं साफ दशा में है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि विक्रेतागणों ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती अंशु देशपाल पत्नी श्री के०के० देशवाल से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 353 पृष्ठ 237 से 268 दस्तावेज नं० 361 पर दिनांक 26.04.2016 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि निम्न वर्णित भूमि पूर्व विक्रेता श्रीमती अंशु देशवाल पत्नी श्री के०के० देशवाल ने बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री किशन शर्मा से क्रय की है जिसके विक्रय पत्र का पंजीकरण बही नं० 1, जिल्द 283 पृष्ठ 1 से 10 दस्तावेज नं० 1072 पर दिनांक 08.08.2011 को कार्यालय सब-रजिस्ट्रार, देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल में विधिवत् पंजीकृत है।

यहकि विक्रेतागणों ने अपनी निम्न वर्णित भूमि का विक्रय अपने स्थिर मन, बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में, बिना किसी के सिखलाये, बिना बहकाये, वरन् अपनी स्वेच्छा से क्रेतागण (1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री हरीदत्त शर्मा (2) श्री नितेश कुमार पुत्र स्व० विनोद कुमार (3) श्री ललित मोहन मिश्र पुत्र स्व० कमल नारायण मिश्र को मु० 40,00,000/-रूपये (चालीस लाख रूपये) के प्रतिफल के बदले में इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय एवं हस्तान्तरण कर दी है, तथा समस्त विक्रय मूल्य की प्राप्ति इस विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निम्न प्रकार से प्राप्त की :-

Bharat Singh

चरण सिंह

Ravi

Ravi

3-

मु0 10,00,000/रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTIBR52023101100357188 एक्सेस बैंक दिनांक 11.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 5,00,000/रूपये (पांच लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTIBR52023101600364053/156 एक्सेस बैंक दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 5,00,000/रूपये (पांच लाख रूपये) द्वारा दिनांक 16.10.2023 को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 10,00,000/रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 UTRCNRBR5202301065199770 केनरा बैंक दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

मु0 10,00,000/रूपये (दस लाख रूपये) द्वारा आर0टी0जी0एस0 सं0 PUNBR52023101610065390 पंजाब नेशनल बैंक दिनांक 16.10.2023 के माध्यम से प्राप्त किये।

इस प्रकार, सौदे की कुल राशि मु0 40,00,000/रूपये (चालीस लाख रूपये) विक्रेतागणों ने क्रेता से प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति विक्रेतागणों को स्वीकार है।

इस प्रकार विक्रीत भूमि के बाबत कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहा है, कब्जा मौके पर क्रेता को करा दिया है क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत भूमि का जिस प्रकार चाहे उपयोग एवं उपभोग करे, विक्रय एवं हस्तान्तरण आदि करे।

यहकि क्रेता आज से विक्रेतागणों के समान वर्णित भूमि के मालिक, स्वामी हो गये है। वर्णित विक्रीत भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार, सुखाधिकार जैसे मौके पर कायम आवागमन के रास्ते, हवा, पानी, नाली, रोशनी, आदि सभी उपयोग एवं उपभोग के अधिकार जोकि आज दिन तक विक्रेता पक्ष को प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होना सम्भव हो वह सर्वाधिकार क्रेतागणों को समान रूप से प्राप्त होंगे।

यहकि क्रेता को अधिकार होगा कि वर्णित विक्रीत भूमि के स्वामित्व अभिलेखों व राजस्व अभिलेखों से विक्रेतापक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम कागजात माल में तन्हा दर्ज व अंकित करा लेवे, नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता पक्ष क्रेता पक्ष को सदैव अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, तथा भविष्य में क्रेता के स्वामित्व पुष्टि हेतु कोई लेख या बयान लिखकर देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा लेख या बयान क्रेतापक्ष को लिखकर देने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

यहकि वर्णित विक्रीत भूमि पर यदि आज से पूर्व किसी प्रकार की देनदारी, कर, टैक्स लगान आदि— आदि जो भी देय होगा उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी हर प्रकार से विक्रेतागणों की होगी आज के बाद से भविष्य से लगने वाले सभी टैक्स, लगान, देनदारीयां आदि — आदि को भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेतापक्ष व उसके वारिसानों की होगी।

यहकि वर्णित भूमि अथवा उसका कोई भाग क्रेता के कब्जे से विक्रेतागणों की स्वामित्व कमी के कारण या दोष के कारण निकल जाता है तो क्रेता पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसी क्षति की पूर्ति मय हर्जे खर्चे सहित विक्रेतागणों से कानूनन वसूल पा लेवे।

यहकि वर्णित भूमि का विक्रय मय सर्वाधिकार सहित विक्रेता द्वारा किया गया है। इस विक्रय पत्र के, पाबन्द विक्रेतापक्ष एवं क्रेता के उत्तराधिकारी, हित — प्रतिनिधि, स्थानापन्न समान रूप से सम्मिलित समझे जावेगे तथा वह भी पक्षों के समान सदैव इस विक्रय पत्र का पालन करेगा।

Rhara

सदस्य

Kalé/M.H

Tankar Shama

M.H

वांछित विवरण

यहकि विक्रीत भूमि के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेतागणे एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है।

यहकि विक्रेतागण किसी अनुसूचित जाति, जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

यहकि विक्रेतागण एवं क्रेता भारतीय नागरिक है।

यहकि विक्रीत भूमि खाली भूमि है इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि आवासीय है।

यहकि विक्रीत भूमि औद्योगिक बस्ती में नहीं है।

यहकि विक्रीत भूमि मौजा - तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढवाल में स्थित है।

यहकि विक्रीत भूमि के बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद-विवाद विचाराधीन नहीं है।

यहकि विक्रीत सम्पत्ति की भूमि का कुल क्षेत्रफल 96.80 वर्ग मीटर है जिसमें भूमि पर निर्धारित सर्किल दर मय 5 प्रतिशत रोड साईडर सहित मु0 29,949 /रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंकलन करने पर भूमि का मुल्यांकन मु0 28,94,000 /रूपये होता है, भूमि का विक्रय मूल्य मु0 40,00,000 /रूपये है, जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क मु0 2,00,000 /रूपये अदा किया गया है।

यहकि विक्रीत भूमि/प्रश्नगत भूमि सम्पत्ति Real Estate Act 2016 एवं यथा प्रख्यापित Uttarakhand Real Estate (Regulation and Development (General) Rules 2017 में परिभाषित "Real Estate Project Land" के अन्तर्गत नहीं है तथा विक्रेता की व्यक्तिगत सम्पत्ति है, विक्रीत सम्पत्ति किसी ग्रुप हाउसिंग Mixed Development Project, (आवासीय, व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट) एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट अथवा Plotted Development Project, से सम्बन्धित नहीं है एवं विक्रेता Promoter/Developer अथवा Real Estate Agent नहीं है।

(विवरण विक्रीत भूमि)

आवासीय सम्पत्ति, भूमि खाता खतौनी सं0 86 (पुराना खाता सं0 41) फसली वर्ष 1414 से 1419 के अनुसार भूमि खसरा नं0 27क (पुराना खसरा नं0 66) विक्रीत क्षेत्रफल 231 वर्ग गज यानि 193.21 वर्ग मीटर, का 1/2 भाग यानि विक्रीत क्षेत्रफल 96.60 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन परगना तहसील नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढवाल, सम्पूर्ण सम्पत्ति की दिशाये इस प्रकार है:-

- | | |
|------------|---|
| पूरब में | - सम्पत्ति श्री नवीन कुमार, सीमा नाप 67 फीट 6 इंच। |
| पश्चिम में | - सम्पत्ति श्री राजेश कुमार अग्रवाल, सीमा नाप 71 फीट। |
| उत्तर में | - खाला, सीमा नाप 30 फीट। |
| दक्षिण में | - 25 फीट चौड़ा रास्ता, सीमा नाप 30 फीट। |

Bharat

14/11/14

Kuldeep

Tambur Sharma

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत अंगुलियों के निशान

1- पक्षकार विक्रेता नाम श्री भारत सिंह निर्वाण हस्ताक्षर
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Bharat



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



2- पक्षकार विक्रेता
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा

नाम श्री चरण सिंह निर्वाण
तर्जनी मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा

चरण सिंह



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा



3- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा

नाम (1) श्री पंकज शर्मा
तर्जनी मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा

Pankaj Sharma



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

Bharat

चरण सिंह

kalit/11.11

Pankaj Sharma

Sharma

(44)

-6-

3- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा

नाम
तर्जनी

श्री नितेश कुमार
मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



3- पक्षकार क्रेता
बाया हाथ:(Left Hand)अंगूठा

नाम श्री ललित मोहन मिश्र
तर्जनी मध्यमा अनामिका

हस्ताक्षर
कनिष्ठा



दायां हाथ:(Right Hand)अंगूठा

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा



Bharat
मिशन

Pankaj Sharma

कनिष्ठा

हस्ताक्षर

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27.10.2023 ई० को स्थान देवप्रयाग जिला टिहरी गढवाल, में विक्रेता द्वारा गवाहान् के समक्ष स्वेच्छा से हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

ह० विक्रेतागण Bharat.....

(1) श्री भारत सिंह निर्वाण

(2) श्री चरण सिंह निर्वाण

ह० क्रेतागण

(3) श्री नितेश कुमार

(2) श्री पंकज शर्मा

(1) श्री ललित मोहन मिश्र

ह० गवाह

श्री शुभा गुप्ता

पत्नी श्री सुनील गुप्ता

निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश

जिला देहरादून।

ह० गवाह

श्री सुनील गुप्ता

पुत्र श्री विष्णु प्रसाद गुप्ता

निवासी-जीवनीमाई ऋषिकेश

जिला देहरादून।


हम गवाहान् के समक्ष दोनों पक्षकारों (विक्रेतागण व क्रेतागण) ने इस लेख पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं, विक्रीत भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व व विक्रय मुल्य के भुगतान व प्राप्ति के सम्बन्ध में हम गवाहान् को कोई जानकारी नहीं है।

विक्रेतागण एवं क्रेतागण के कथनानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रचियता :- अतुल बिष्ट
Court एडवोकेट
Ripikotsh

Handwritten signature

बही संख्या 1 जिल्द 867 के पृष्ठ 365 से 396 पर क्रमांक 1712

पर आज दिनांक 30 Oct 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।


रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, देवप्रयाग
30 Oct 2023



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202330



Mahima Shankar Saxena



Mahima Sh

विशेष सूचना

यदि किसी व्यक्ति को इसका प्रयोग करने में दिक्कत हो तो उसे तुरंत बैंक से सूचना देनी चाहिए।

(1) इस बैंक की विधि (2) इस बैंक की विधि (3) इस बैंक की विधि

यदि किसी व्यक्ति को इसका प्रयोग करने में दिक्कत हो तो उसे तुरंत बैंक से सूचना देनी चाहिए।

ANSWER

53

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 361 वर्ष 2016



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

नाम संभव

जयलाल मिश्रा

जयलाल मिश्रा

जयलाल मिश्रा



Handwritten signature

नाम संभव

यह जातीयता का प्रमाण है। सभी के अधिकार बराबर हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
जयलाल मिश्रा
26/04/2016

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs.
15000



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

202329

साक्षि विवरण

- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।
- यह कि विहित भूमि संपत्ति है।

(Handwritten signatures and text)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

पन्ध्र हजार रुपये

Rs.
15000



INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

2023-24

[Faint, illegible text, likely a receipt or official document, possibly containing names and dates.]

[Faint signatures or stamps at the bottom of the document.]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु.
10000

Rs.
10000

TENTH THOUSAND RUPEES



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

A-21489

मैं (मैं) उत्तराखण्ड के राज्य बैंक 10000 रुपये का एक नया नोट जारी करने में सक्षम हूँ।
उत्तराखण्ड राज्य बैंक की स्थापना 2001 में उत्तराखण्ड के अलग हो जाने के बाद हुई। उत्तराखण्ड राज्य बैंक
का ध्येय है कि यह बैंक एक उत्तम बैंक के रूप में कार्य करेगा।
मैं (मैं) उत्तराखण्ड के राज्य बैंक 10000 रुपये का एक नया नोट जारी करने में सक्षम हूँ।
उत्तराखण्ड राज्य बैंक की स्थापना 2001 में उत्तराखण्ड के अलग हो जाने के बाद हुई। उत्तराखण्ड राज्य बैंक
का ध्येय है कि यह बैंक एक उत्तम बैंक के रूप में कार्य करेगा।

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

1000/0000

राज्य प्रमुख

गैर न्यायिक नोट

दिनांक

	प्रमुख	सहायक	अधीनस्थ	अधीनस्थ	अधीनस्थ
सहस्र					
शत					

Arjun...



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

भारत

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

नं. 2

भारतीय गैर न्यायिक

रु. 1000

	प्रस्ता	नियमित	अनियमित	अनियमित	अनियमित
बचत खाता					
व्यक्तिगत					

Handwritten signature

Handwritten signature



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

42-04291

मैंने इस दस्तावेज़ को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति को देना, किराया देना, या किसी भी प्रकार के अधिकार के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देता।
 I do not give any permission to any person to use this document for any purpose or to give any loan or to use it for any other purpose.

उत्तराखण्ड (Uttarakhand) उत्तराखण्ड (Uttarakhand) उत्तराखण्ड (Uttarakhand)
 जिला (District) जिला (District) जिला (District)

1. श्री [Name] 2. श्री [Name]
 [Address] [Address]
 [City] [City]

महिला (Female) महिला (Female)
 मोहता (Mortgage) मोहता (Mortgage)
 मोहता (Mortgage) मोहता (Mortgage)
 मोहता (Mortgage) मोहता (Mortgage)

1072 J-V

परिष्कार विवरण	दिनांक/वर्ष
समाप्त हुए विद्युत परियोजनाएँ	दिनांक/वर्ष
पुनरावृत्ति	दिनांक/वर्ष
संशोधन कार्य	दिनांक/वर्ष
नए या बड़े/छोटे	दिनांक/वर्ष

यदि किसी विशेष प्रकार के कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो निम्नलिखित सूची में उचित संशोधन कार्य करवाया जायेगा।

यदि किसी अन्य कारणों से भी कोई कार्य आवश्यक पड़ेगी तो उपरोक्त सूची में उचित संशोधन कार्य करवाया जायेगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त सूची में विद्युत परियोजनाओं के कार्यों को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित कार्य करवाया जाये।

(Handwritten signatures)

68

705
 श्रीमान् श्रीमान् देवराज...
 श्रीमान् देवराज...
 श्रीमान् देवराज...
 श्रीमान् देवराज...

श्रीमान् देवराज - 6,19,000/-

श्रीमान् देवराज...
 10,000 + 50 + 50 = 10,100/-

श्रीमान् देवराज...
 श्रीमान् देवराज...
 श्रीमान् देवराज...
 श्रीमान् देवराज...

R. S. Mahalingam
 105, ...
 ...

Ashu



6 May 2018

Handwritten notes in the top right corner.

Main body of handwritten text, including a date '6 May 2018' and several lines of notes.



Handwritten text to the right of the central stamp.

Handwritten text at the bottom right of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or concluding note.

Handwritten text at the very bottom of the page.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

552807

विषय: श्री. राजेश कुमार शर्मा (पति) के प्रति श्री. सुनील कुमार शर्मा (पति) द्वारा दायित्वपूर्ण पत्र।

श्री. सुनील कुमार शर्मा (पति) द्वारा श्री. राजेश कुमार शर्मा (पति) को एक हजार रुपये का चेक नंबर 552807 जारी किया है।

उक्त चेक नंबर 552807 का मूल्य एक हजार रुपये है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

568842

भारतीय गैर न्यायिक भारत INDIA पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES Rs. 500 INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल

उत्तरांचल

Handwritten signature
Aad.

Handwritten signature
Shri. K. K. ...
Shri. K. K. ...
PO ...

उत्तरांचल गैर न्यायिक भारत INDIA पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES Rs. 500 INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल गैर न्यायिक भारत INDIA

Handwritten signature

(26)

905
5

2. (6) 2

5 AUG 21 1961
[Faint illegible text]

122 01-10
02/08/2011
[Faint illegible text]



ऋषिकेश महायोजना 2011 हरिद्वार विकास क्षेत्र (भाग ब)

संकेतिका

मापनी : 1:10000



निर्मित क्षेत्र

आवासीय

पर्यटन
व्यापारिक

उद्योग

सार्वजनिक सुविधाएँ
यातायात एवं परिवहन

पार्क एवं खेल क्षेत्र

बी-1	वर्तमान निर्मित क्षेत्र (375 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से अधिक)
बी-2	प्राचीन आवासीय
आर-1	आवासीय मध्य घनत्व (250 से 375 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)
आर-2	आवासीय निम्न घनत्व (100 से 250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)
टी-आर	पर्यटन
सी-1	मध्यम श्रेणी वाणिज्य केन्द्र
सी-2	नगरीय वाणिज्य केन्द्र
सी-3	शोक वाणिज्य केन्द्र एवं मण्डल
सी-4	बाजार क्षेत्र
आई	उद्योग
जी	कार्यालय
एक	सार्वजनिक सुविधाएँ
टी-1	वृक्ष आवरण
टी-2	ट्रांजिट नगर/ट्रक आवरण
पी-1	पार्क एवं खेल स्थल
पी-2	नदी तटीय विकास
पी-3	सूखे मैदान क्षेत्र
पी-4	उपवन/बाग
पी-5	कृषि हरित पट्टिका
	प्रमुख मार्ग (वर्तमान/प्रस्तावित)
	रेलवे लाइन/रेलवे क्षेत्र
	नदी/नाला
	अपरिभाषित क्षेत्र
	वर्तमान मार्ग (बीकॉर्ड सम्मिलित विमान के अतिरिक्त अनुसार)
	नगर पालिका/जामनी क्षेत्र सीमा
	जोन की सीमा/ड्राग सीमा
	बन क्षेत्र/बन सीमा
	पट्टी/लोक

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

- की मुख्य मुख्यालय
- मुख्यालय, आवासीय मध्य घनत्व
- की मुख्य मुख्यालय
- मुख्यालय, आवासीय निम्न घनत्व
- की मुख्य मुख्यालय, आवासीय मध्य घनत्व
- की मुख्य मुख्यालय, आवासीय निम्न घनत्व
- की मुख्य मुख्यालय, पर्यटन
- की मुख्य मुख्यालय, व्यापारिक
- की मुख्य मुख्यालय, उद्योग
- की मुख्य मुख्यालय, कार्यालय
- की मुख्य मुख्यालय, सार्वजनिक सुविधाएँ
- की मुख्य मुख्यालय, पार्क एवं खेल क्षेत्र
- की मुख्य मुख्यालय, नदी तटीय विकास
- की मुख्य मुख्यालय, सूखे मैदान क्षेत्र
- की मुख्य मुख्यालय, उपवन/बाग
- की मुख्य मुख्यालय, कृषि हरित पट्टिका
- की मुख्य मुख्यालय, प्रमुख मार्ग
- की मुख्य मुख्यालय, रेलवे लाइन/रेलवे क्षेत्र
- की मुख्य मुख्यालय, नदी/नाला
- की मुख्य मुख्यालय, अपरिभाषित क्षेत्र
- की मुख्य मुख्यालय, वर्तमान मार्ग
- की मुख्य मुख्यालय, नगर पालिका/जामनी क्षेत्र सीमा
- की मुख्य मुख्यालय, जॉन की सीमा/ड्राग सीमा
- की मुख्य मुख्यालय, बन क्षेत्र/बन सीमा
- की मुख्य मुख्यालय, पट्टी/लोक

- नागरिक में वन भूमि की सीमा वन विभाग के नियंत्रण में, वृक्षों की देखभाल, जलसंचयन प्रदान एवं शाखा की गैरवास्तविक मार्ग द्वारा प्रस्तुत नागरिक के अनुसार कर है।
- ड्राग हरिद्वार कला के "क" क्षेत्र में नू-उपकरण पूर्व में की हरिद्वार विकास क्षेत्र मान "क" में (हरिद्वार महायोजना में) दिखाएँ नये हैं जो वास्तविक रूप में ही स्वीकृत है।
- शासनादेश संख्या 591/9-आ-3-2000-2 महा/97 आदेश अनुसूची-3 सहायक विभाग 1 अगस्त 2000 द्वारा स्वीकृत।
- नगर आगरण वेडरवाहन संस्करण एवं वैश्विक अंतर उपाया वेरड संस्करण सहायक मार्ग में विभाग 37 अगस्त 2000 को प्रकाशित।

पृष्ठ 11

प्रदेश

(ए.के.कुमारी) सहायक निरीक्षक
(के.ए.शर्मा) सहायक निरीक्षक
(बी.के.गुप्ता) सहायक निरीक्षक
(ए.के.शर्मा) सहायक निरीक्षक

3029

Annexure R 16

03/10/2022

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या- /IV(3)/2021-1(2 न0नि0)/2021

देहरादून दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

a.c/UBS
K.O. Guas
File
जिलाधिकारी
देहरादून
27/10/2021

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "भारत का संविधान" के भाग 9क के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत, "अनुसूची-एक" में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर पंचायत तपोवन के नाम से गठित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1616/IV(3)/2021-1(2 न0नि)2021 दिनांक 28.10.2021 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पंचायत, तपोवन जिला टिहरी गढ़वाल का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

R.N.-152 /ERK

पंजीयन सं. 8 दिनांक 4/1/2022 "अनुसूची-एक"

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भौगोलिक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या
1	तपोवन	909	62.005	3227
2	घुघत्याणी-तल्ली	934	24.614	410
3	घुघत्याणी-मल्ली	327	7.608	62
4	जामरी काटल	147	3.258	71
5	पांथो मध्ये विलखित तोक	वन क्षेत्रान्तर्गत		120
कुल योग:-		2317	97.485	3890

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- (1)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1853 (2)/IV(3)/2021-01(2 न0नि0)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढवाल मण्डल।
8. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर जनसामान्य के संज्ञानार्थ अपलोड करने का कष्ट करें।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

304
81

Annexure 2/7



305
82




306

83



07

84



TAPOVAN

तपोवन

Ganges

730.28 m

3D

400 m



Measure




Move the map and add points to measure distances and area

86



Annexe 218





311

88



॥ जय माँ कर्ण देवी ॥

नेगी ट्रेडर्स

9412154298

8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक:

दिनांक: 18/6/24

नाम: श्री. वि. व. के. डी. ज. श्री

क्र.स. विवरण संख्या दर रू० धनराशि पै०

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रू०	धनराशि	पै०
	15 ईन्क पत्र		400	6000	=	
			योग	6000		

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर



॥ जय माँ कर्ण देवी ॥

नोगी ट्रेडर्स

9412154298
8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक

481

दिनांक 10/2/24

नाम

श्रीमती शोभा शिखा तपोवन पुष्पवाडी

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रु० धनराशि १०
	16 बैक पैर		400	6400
			योग	6400

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर

313
90



॥ जय मां कर्ण देवी ॥

नेगी ट्रेडर्स

9412154298
8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक: 409

दिनांक: 15/3/24

नाम: लालच नोहन (श्रीमान)
व्यापक दुआवाला

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रु० धनराशि ₹०
	15 ट्रेडर पार्क		400 =	6000 =
			योग	6000/-

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर

(51)



॥ जय मां कर्ण देवी ॥

नेगी ट्रेडर्स

9412154298

8630095500

ईट, सीमेन्ट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक:

426

दिनांक 22/5/24

नाम

बालित गृहज क्रिया

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	धनराशि ₹
	10 टंक पार्क		400	8000
			योग	8000

भूल-चूक लेनी देनी

कुलाक्षर

(92)



॥ जय माँ कर्ण देवी ॥

नेगी ट्रेडर्स

9412154298
8630095500

ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी एवं बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर्स आदि

347, पुरानी चुंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

क्रमांक

418

दिनांक 28/6/24

नाम

रमेश चंद्र शर्मा
रमेश चंद्र शर्मा

क्र.स.	विवरण	संख्या	दर	रु० धनराशि ₹
	12 ईंटर पानी		400-	4800-
			योग	4800-

भूल-चूक लेनी देनी

हस्ताक्षर

CONSUMER HISTORY FROM 04-Mar-2017 TO 24-Aug-2024

JH66056112757
 MICHARAT SINGH NIRBAN
 S/O MOOL CHAND
 BAMBOO HUTS ASHRAM, NEAR DECCON
 VALLY, TAPOVAN
 / 7500155180
 MIJINI KG RETI RISHIKESH

Category :
 Account No / CIN :
 Billing Status :
 Contracted Load :
 Connected Load :
 Supply Release Date :
 Total Security Deposit :
 Material Security Deposit :
 PAN Number :

41002815181
 LINE
 2.00 KW
 2.00 KW
 04-Mar-2017
 2130 INR
 0.00

Supply Voltage	Star Header Capacity	ED Exemption Flag	Calling Flag	Is Capacity Surcharge Applicable	Is Credit Limit Support
400 V	0			N	

NO TRANSACTIONS FOUND



कार्यालय, सहायक अभियन्ता, सब-डिविजन (गंगा),

उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश

निकट अशोक होटल, हरिद्वार रोड ऋषिकेश, देहादून ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
साकेत कॉलोनी, धर्मपुर, नेहरू कॉलोनी
देहरादून ।

पत्रांक 143 / तपो0जलो0यो0 / 2024-25

दिनांक 02/07/24

विषय:- तपोवन स्थित निर्माणधीन छ: भवनों के सीवर सम्बन्धी स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे हुयी फ़ोन पर वार्ता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा कृदसएण्य के माध्यम निम्न भवनों की सीवर सम्बन्धी आख्या चाही गई है।

1. श्री राजेश अग्रवाल, घुघत्यानी तल्ली, डीकोन वैली, तपोवन।
2. स्व० श्रीमती शोभा सिंह/श्री नरेन्द्र बलूनी, घुघत्यानी तल्ली डीकोन वैली तपोवन।
3. श्री अतुल नेहर, घुघत्यानी तल्ली, डीकोन वैली, तपोवन।
4. श्री दीपक कण्डारी, घुघत्यानी तल्ली, डीकोन वैली, तपोवन।
5. श्री रंजन गुप्ता/ श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/ श्री अमित, घुघत्यानी तल्ली, डीकोन वैली, तपोवन।
6. श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा, घुघत्यानी तल्ली, डीकोन वैली, तपोवन।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है, उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन नेटवर्किंग उपलब्ध है तथा उक्त निर्माणधीन भवनों को सीवर से संयोजित किया जा सकता है।

भवदीय

(हरीश कुमार बंसल)
सहायक अभियन्ता

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री राजेश अग्रवाल/अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो/त्राधि/87/2017-18, दिनांक-03/11/2017 द्वारा वाद योजित है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही/सुनवाई मतिमान है। उक्त भवन G+4तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 14.50 मी० एवं गहराई 18.30 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 265.35 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1061.40 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-111/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को दिनांक-08-07-2024 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री दीपक कण्डारी एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0027/2023, दिनांक-08/11/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 25.00 मी० एवं गहराई 18.90 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 472.50 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 2382.50 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-108/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री रंजन गुप्ता/श्री नितिन गोयल/श्री विशाल तायल/श्री अमित आदि का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या- UCMS/TSN/C/0014/2023, दिनांक-21/08/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 15.80 मी० एवं गहराई 16.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 255.75 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 1278.75 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-86/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-13-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।


सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

98

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री भरत सिंह/श्री ललित मिश्रा का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/R/0008/2021, दिनांक-12/10/2021 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 19.85 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 181.62 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 908.10 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-107/जि०स्ता०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-08-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।


सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

निरीक्षण आख्या

महोदय,

स्व० श्रीमती शोभा सिंह/नरेन्द्र बलूनी का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-नो०/टि०/४०/२०२०-२१, दिनांक-०८/०७/२०२० द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+४तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई २०.७५ मी० एवं औसत गहराई ८.९० मी० तथा कुल क्षेत्रफल १८४.६७ वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल ७३८.६८ वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-११०/जि०स्त०वि०प्रा०/२०२४-२५, दिनांक-२२-०६-२०२४ द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।




सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

100

निरीक्षण आख्या

महोदय,

श्री अतुल नेहरा एवं अन्य का तपोवन, घुघत्याणी मल्ली, डेक्कन वैली में स्थित अवैध निर्माण/भवन की जांच की गयी। जिसमें पाया गया कि उक्त भवन का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या-UCMS/TSN/C/0023/2023, दिनांक-08/12/2023 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई गतिमान है। उक्त भवन G+5 तल तक निर्मित है। उक्त भवन की औसत चौड़ाई 9.15 मी० एवं गहराई 18.50 मी० तथा कुल क्षेत्रफल 169.27 वर्ग मी० है। उक्त निर्मित भवन के कुल तलों का क्षेत्रफल 846.35 वर्ग मीटर है। उक्त भवन में एस०टी०पी० नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण के पत्रांक-109/जि०स्त०वि०प्रा०/2024-25, दिनांक-22-06-2024 द्वारा उक्त अवैध भवन को सील किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।


सहायक अभियन्ता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
टिहरी, नरेन्द्रनगर।

Part 4

324

Season Community
Bills we have

101

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर,
सहारनपुर रोड देहरादून।

01/8/17

पत्रांक 770 / मान0 सैल-विविध / 15-16

दिनांक 25/8

- 1-समस्त सहायक अभियन्ता,
म0दे0वि0प्रा0
देहरादून।
- 2-समस्त अवर अभियन्ता,
मानचित्र सैल।
- 3-समस्त अवर अभियन्ता,
अवैध निर्माण सैल।
- 4-ड्राफ्ट्समैन / लेखपाल / पटवारी,
म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।

विषय:- मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय में प्रेषित संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण राजीव गांधी बहुउद्देश्यीय काम्प्लैक्स डिस्पेंसरी रोड देहरादून के पत्र संख्या 311 दिनांक 12.7.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मान0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.17 की प्रति इस आशय से संलग्न की गयी है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मान0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, अतः उक्त आदेश की प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

अधिशारी अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ व अवलोकनार्थ प्रेषित।

- 1-उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- 2 सचिव, महोदय म0दे0वि0प्रा0।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता म0दे0वि0प्रा0।

अधिशारी अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

102



उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
Website- uhuda.org.in E-mail- uhudauk@gmail.com, info@uhuda.org.in

पत्रांक:- 311 / उडा-171 / एन0जी0टी0 / 2016-17

दिनांक: 14.04.2017

प्रेषक,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. उपाध्यक्ष,
गसुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। | 2. उपाध्यक्ष,
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार। |
| 3. सचिव,
नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, नैनीताल। | 4. सचिव,
दून-घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून। |
| 5. उपाध्यक्ष
स्थानीय प्राधिकरण,
बदीनाथ / औली / गौचर / भैरौण /
रूद्रप्रयाग / श्रीनगर / पौडी / उत्तरकाशी
/ चमोली-गोपेश्वर। | 6. उपाध्यक्ष
स्थानीय प्राधिकरण,
पिथौरागढ़ / कोसानी-ल्वेशाल / बागेश्वर /
चम्पावत / रामनगर / हल्द्वानी-काठगोदाम।
बजपुर / किच्छा / काशीपुर / रूद्रपुर |

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक-25.04.2017 की प्रति इस आशय से भेजी जा रही है कि भविष्य में मानचित्रों पर स्वीकृति से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। (संलग्न मा0 एन0जी0टी0 के निर्णय की प्रति)।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Secretary

9/07
18-7-17

21/3/17

गावदीय
10
(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

1332
24/7/17

Map Cell

PA

24/7

(गिरधारी सिंह रावत)
संयुक्त मुख्य प्रशासक।

(103)

मुख्यालय

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून-248001

पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एच.ओ/सा0-183(217)/2017/ 148-186 दिनांक 05.2017

फैक्स/स्पिड पोस्ट द्वारा
कोर्ट गेट/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. सगस्त जिलाधिकारी। चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी/पोड़ी/देहरादून/हरिद्वार/बागेश्वर/अल्मोड़ा/चम्पावत/नैनीताल/उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
2. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूढ़की विकास प्राधिकरण, तुलसी चौक मायापुर, हरिद्वार। फैक्स-01334-265702
3. उपाध्यक्ष, मझुरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, नियम आई.एस.बी.टी. देहरादून। फैक्स-0135-6603103।
4. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, नियर तहसील, दिसपेन्सरी रोड देहरादून। फैक्स-0135-2719700
5. सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साहा), 12, प्रीतम रोड, देहरादून। फैक्स-0135-2669062
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 53, टी.एच.डी.सी. विस्थापित क्षेत्र, तोमर कॉम्प्लेक्स, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, 3/3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, 74/1, राजपुर रोड, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊ मण्डल विकास निगम, ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल। फैक्स-05942-2368971
10. सचिव, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल। फैक्स-05942-236041
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, नारायण विहार, कागनी रोड, देहरादून। फैक्स-0135-2622590
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संधावन विकास एवं निर्माण निगम, 11, मोहिनी रोड, देहरादून।

विषय : गा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
गहोदय,

अपरोक्ष विषयक अवगत होना चाहें कि गा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा मूल आवेदन संख्या-1997/2014 एवं मूल आवेदन संख्या-61/2017 में दिनांक 25.04.2017 को अन्य आदेशों के साथ नगरीय क्षेत्र अपशिष्ट प्रबन्धन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं।

"Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000Sq. Mtrs. area which will cover for construction area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the solid waste management Rule, 2016"

क्रमशः पृष्ठ-2

148

11.5.17

मा0 एन.जी.टी. के आदेशों की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मा0 एन.जी.टी. के आदेशों की छायाप्रति राज्य बोर्ड की वेबसाइट-<http://ucppcb.uk.gov.in/contents/listing/8%20NGT%20orders> पर उपलब्ध है। कृपया अवगत होना चाहिए कि विषयगत प्रकरण मा0 एन.जी.टी. में विवादाधीन है।

संलग्नक :- यद्योपरि।

सदस्य
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से राज्य के समस्त स्थानीय निकायों को मा0 एन.जी.टी. के आदेशों के अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

328

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 199 of 2014

And

**Original Application No. 61 of 2017
(Earlier OA No. 199 of 2014)**

And

**Original Application No. 281 of 2016
(M.A. No. 1007/2016 & M.A. No. 395/2017)**

IN THE MATTER OF:

**Almitra H. Patel & Anr. Vs. Union of India & Ors.
&
Kudrat Sandhu Vs. Govt. of NCT & Ors.**

**CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AJAY A DESHPANDE, EXPERT MEMBER**

**Present: Applicant :
Respondent :**

- Mr. Mandeep Kalra, Adv.
- Ms. Divya Sharma, Adv.
- Mr. Gautam Singh and Mr. Rudreswar Singh, Adv. for State of Bihar and Bihar SPCB
- Ms. Pityanka Saha, Adv. for State of Jharkhand
- Ms. K. Enatoli Soma, Mr. Amith and Mr. Amlt Kumar Singh, Adv. for the State of Nagaland and Pollution Control Board
- Ms. Deep Shikha Bhargal, Adv. for MoEF
- Mr. Debarshi Bhuyan and Mr. S.S. Rebello, Adv. for State of Goa and Goa SPCB
- Mr. Anil Bora, AAG and Mr. Naginder Benipal, Adv.
- Mr. Om Prakash, Adv. Mr. Hemantika Wahi and Mr. Kabir Hathi, Adv. For State of Gujarat
- Mr. R. Rakesh Sharma, Adv. for State of TN & TNPCB
- Ms. Aprajita Mukherjee, Adv.
- Mr. Pradeep Misra and Mr. Dileep Dhyaul, Adv. For Uttar Pradesh Pollution Control Board
- Mr. G.M. Kawoosa, Adv. for State of J&K
- Mr. Saurabh Prakash, Adv. for Zorba Entertainment Pvt. Ltd.
- Ms. Mollie Sui, Adv. Mr. Ishan Khanna, Adv.
- Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Adv. and Mr. Vikas Bhalotra, Adv. for Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- Dr. Abhishek Atrey, Adv. for UT of Lakshadweep
- Mr. G. Sukumaran, Mr. Anand Sukumar and Mr. Bhupesh Kumar Pathak, Adv. for Municipal Corporation of Gr. Mumbai
- Mr. P.K. Agrawal, Ms. Mercy Hussain, Adv. for hotel Leela ambience
- Mr. Atul Sharma, Adv., Mr. Nitosh Jain, Adv., Ms. Yamini Khurana, Adv. for Hotel Metropolitan
- Mr. Sangram Pathak, Mr. Dhruvjit Sikk, Mr. Dhiraaj Kumar, Mr. Sayansiddha Padalk, Mr. Suresh Chandra, Adv. For Hotel Samrat
- Ms. Manisha T. Karla, Adv., Ms. Nidhi Nagpal, Adv., Ms. Soumya, Ms. Mudfi Bood, Adv. For Holiday Inn Hotel
- Mr. Rahul Kumar, Adv. for Jawahar Lal Nehru society
- Mr. Ashimanya Mahajan, Adv., Ms. Anubha Goel, Adv. for Hotel Leela Palace
- Ms. Sakshi Popli, Adv. Ms. Pritika Singh, Adv. for NDMC
- Mr. Nitish Shrivastava, Adv. for M/s Golden radiance palm Hotel
- Mr. Sudaishan Rajan, Adv. Mr. Karajot Singh Maloo, Adv. for Delhi Citizen Society
- Ms. Pooja Kalra, Adv.
- Mr. Ridwika Nanda, Adv., Mr. Sumit Raj, Adv. for Notice No. 1-Max Healthcare Ltd.
- Mr. Amit Agarwal, Adv. Ms. Asha Basu, Adv.
- Mr. Shiv Mangal Shrivastava, AAG with Mr. Saurabh Rajpal, Mr. Adhiraaj Adv. for RSPCB
- Mr. D.K. Thakur, AAG with Ms. Seema Sharma, Dy. AG for State of Himachal Pradesh



Mr. Abhishek Yadav, Adv. for State of Uttar Pradesh
 with Mr. Raghuvendra Singh, Sr. Ass. General
 Mr. Vicky Scarla, Adv. for Kerala State Pollution
 Control Board
 Ms. Sunita Sharma President and Mr. Arun Lal
 Gudda, Gen. for Bharat
 Mr. Taruna Sharma, Adv.
 Mr. Pradeep Hans, President, Neelkanth Apartment
 Rohini Delhi
 Mr. M. J. Khan President RWA
 Mr. Rahul Shrivastav, Adv.
 Mr. D.K. Thakur AAG with Ms. Soema Sharma, DAG
 for State of Himachal Pradesh
 Mr. Jayesh Gaurav Adv. for JSPCB
 Mr. Vikas Sood, Adv.
 Mr. B.V. Niren, and Mr. Vinayak Gupta, Adv.
 Mr. Pinaki Misra, Sr. Adv. and Mr. Manu Aggarwal,
 Adv.
 Mr. Arjun Pant, Adv. Mr. Pallav Pandey, Adv. for Res.
 17, hotel Lohit
 Mr. Tarun S. and Mr. Amit Gupta, Adv.
 Dr. V.N.V. Satish, Adv. for GTB Hospital
 Mr. Anuj Aggarwal for Dharamshala Hospital Notice
 No. 9
 Ms. Priyanka Sinha, Adv. for State of Jharkhand
 Ms. Meenakshi Parthian, Mr. Anurag Dubey, Adv. for
 M/s. Lillywhite hotel Mr. Nishe Rajen Shanker, Adv.
 for State of Kerala
 Mr. Sudeep Mr. Shatrinya, Adv., Mr. Pratyaksh Raj,
 Adv. for Park Plaza Hotel
 Mr. Anil Grover, AAG with Mr. Rahul Khurana Adv.
 for State of Haryana and Haryana Pollution Control
 Board
 Ms. Sapan Biswas, Adv., Mr. Nareesh Kumar Gaur,
 Adv.
 Mr. Guntur Prabhakar and Mr. Guntur Pramod Kumar
 and Mr. Prashant Mathur, Adv. for State of AP
 Ms. Asha Dasu and Mr. Amit Agarwal, Adv. for West
 Bengal Pollution Control Board
 Mr. Debarshi Bhuyan, Adv. for state of Goa
 Mr. P. Venkat Reddy, Adv., Mr. Prashant Tyagi, Adv.
 for State of Telangana
 Mr. Teyenjam Momo Singh and Mr. Amith J., Adv.
 for Meghalaya SPCB
 Ms. Shiban Choudhary, Adv. for State of
 Maharashtra
 Mr. Aruna Mathur, Mr. Amit Arora, Ms. Anuradha
 Arputham and Mr. Avneesh Arputham, Adv. for
 State of Sikkim
 Mr. Rajiv Bansal, Mr. Rush Sharma, Mr. Anirudh
 Chadda and Ms. Arpita, Adv. for Delhi Development
 Authority
 Ms. Divya Sharma, Adv., Mr. Arun Monga, Adv.
 Mr. Baurabi Kumar, Adv.
 Mr. Sunny Choudhary, Adv.
 Mr. M. Palkatay and Mr. A.K. Panda, Adv.
 Mr. Anil Smit, AAG with Mr. Naginder Beniwal, Adv.
 Mr. Ashish Negi Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv.
 Mr. Sameer Chaudhary, Adv. for Park Inn by
 Radisson
 Mr. Baldev Singh, Adv. for HPPCB
 Mr. Shuvodeep Roy and Mr. Sayool Mahandas, Adv.
 for State of State of Assam and Assam PCB
 Mr. V.K. Shukla with Ms. Vijay Lakshmi, Adv. for
 State of MP
 Mr. Vijay Panjwani, Adv. for Central Pollution
 Control Board
 Ms. Pragyan Pradip Sharma, Adv. for the State of
 Mizoram
 Mr. Anil Shrivastav, Mr. Ritiraj Biswas and Ms.
 Sujaya Bardhan, Adv.
 Mr. Aruna Mathur, standing counsel, Mr. Avneesh
 Arputham, Adv., Mr. Anuradha Arputham, Adv.
 Mr. Tarunvir Singh Khehar, Ms. Gunect Khehar and
 Mr. Charan Jeet Singh, Adv.
 Mr. Rajot Shrivastav, Adv. for MPPCB
 Ms. Yogmaya Agnihotri, Adv. for CECB
 Mr. Sarthak Chaturvedi, Mr. Rohit Pandey, Adv. and
 Mr. Shubham Jalwal, Adv. for Andaman & Nicobar
 Island
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. with Mr. R.K. Maurya,
 Adv. for East Delhi Municipal Corporation,

Mr. Jayesh Gaurav, Adv. for JSFCB
 Mr. Braja Mahapatra, Adv. with Mr. Dinosh Jindal,
 LO for Delhi Pollution Control Committee
 Mr. D.V. Niren, Adv. for MoUD
 Mrs. D. Bharathi Reddy, Adv. for State of
 Uttarakhand
 Mr. Gopal Singh, Ms. Varsha Poddar, Mr. Rituraj
 Bhowar, and Mr. Kumar Millad, Adv. for State of
 Tripura
 Mr. Jayant K. Mehta, and Mr. Abhijeet Srivastava,
 Advs.
 Dr. Abhishek Atrey and Mr. Vikas Malhotra, Advs.
 Dr. Abhishek Atrey and Ms. Megha Tyagi, Adv s.
 Mr. Shiv Chopra and Mr. Arush Khanna, Advs,
 Mr. Balendu Shekhar and Mr. R. K. Maurya advs and
 Mr. Vipin LDC
 Mr. Sanjay Mannu and Mr. R. K. Pillar, and Mr. Vinay
 Kauwar, Advs.
 Ms. D. Bharathi Reddy, Adv.
 Dr.
 Mr. Ashish Negi, Adv. for Ms. Richa Kapoor, Adv. for
 PPCB
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikas Kr. Sinha, Advs.
 Mr. Saugabh N. President and Mr. BB Bhandari, Soc.
 Ms. Sakshi Popli, Adv. for NDMC & DJB
 Mr. Balendu Shekhar, Adv. for Noticee Hospital
 Swamy Dayand Hospital
 Mr. M.Z. Chaudhary, Adv., Mr. Sharif Zaidi, Ms.
 Mansi, Adv.
 Mr. Mukesh Verma and Mr. Bikash Kumar Sinha,
 Advs.
 Mr. Sunny Choudhary, Adv. for MPCCB
 Mr. Saurabh Kumar Adv.
 Mr. Nitish Shrivastava, Adv for Noticee 1 for G.K.
 Motels Pvt. Ltd.
 Mr. Harish Sharma, Adv for State of Chattisgarh
 Mr. Tanuj Agrawal, Mr. Ankit Prakash, Advs. For
 Fraser Suites
 Mr. Vibhav Misra, Adv., Ms. Soumya Misra, Adv. for
 DTC
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Vivekanda Mahila
 College
 Mr. Santosh Kumar, Adv. for Shaced Sukhdev College
 Mr. Dr. R.K. Mahajan, Consultant Mr Anil Bhatt, for
 Dr. RMC Hospital
 Ms. Meghaya Agnihotri, Adv. for CECH
 Mr. V.K. Shukla, Adv with Mr. Vijay Lakshmi, Adv
 Mr. G.M. Kawoosa, Adv.
 Ms. Deepshikha Bharati, Adv. MoEF
 Dr. V.S.V. Satish, for GTB Hospital
 Mr. Shubham Dhalla, Adv., Mr. Dhruv Pal, Adv. for
 State of Punjab
 Mr. Edward Belho, AAG, Mr. K. Luikang Michael,
 Adv. Ms. Ella Gangmel, Adv.

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 01-03 April 25, 2017 ss	The Learned Counsel appearing for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change prays for time to seek instruction, if any of the Sub-Committees have filed their final report and also whether the all interim reports filed by the Committee with the Ministry and/or filed before the Tribunal by the Ministry. Let him take instructions positively by the next date of hearing and without default. In terms of order dated 10 th April, 2017, Notices were

Item No.
01-03
April 25,
2017

issued to all the defaulter Noticees Hospitals, Hotels,
Schools, Railway stations and other buildings belonging to
Public or Private both

ss

Hospitals :-

From the Hospital's list of Sl. No. 1 to 15, Notices were
issued, however, nobody appears on behalf of the following:-

1. IG-ESI Hospital, Jhil Mill Colony, East Delhi.
2. GTB Hospital, Dilshad Garden, Delhi.
3. Jag-Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park, Delhi.
4. Lok Nayak Jai-Prakash Narayan Hospital, Near Delhi Gate, Jawaharlal-Nehru Marg, New Delhi

As nobody is present on their behalf, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Medical Superintendents of all above these hospitals in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The Noticees stated at Sl. No. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 and 15 are present personally or represented through counsels. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Hotels :-

All the hotels from Sl. No. 1 to 24 are present

109

332

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

Colleges :-

From amongst the Educational Institutions, Noticee No. 4 is not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Registrar of Delhi Technological University in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The Educational Institutions from Sl. No. 1 to 3 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Malls :-

Out of all the Malls to whom Notices were issued, the Noticee No. 1, 2, 3 and 6 are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Proprietor of all above theses Malls in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI

110

333

Item No.
01-03

April 25,
2017

89

Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for his production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

Let the case of Notices No. 5 - DLG Galleria, Mayapuri Vihar, Delhi be listed before Court No. 2.

The Noticees No. 1, 2, 3 and 6 are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017

Railway Stations:

From amongst all the 4 Noticees (Railway Stations), are present and represented through their Counsel. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Bus Terminals:

The Learned Counsel appearing for all the Bus Terminals submits that Notices have been served to them and they pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

Waste to Energy Plant:

The Learned Counsel appearing for the Waste to Energy Plant, Ghazipur of M/s. East Delhi Waste Processing Private Limited pray for time to file their replies. Replies be

Item No.
01-03

April 25,
2017

ss

filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List this case for hearing on 15th May, 2017.

Residential Societies:

Out of the 9 Housing Societies, Noticees Nos. 2 (Ekta Enclave) and 6 (Ghalib Memorial Cooperative GP Housing Society) are not present, therefore, we direct issuance of bailable warrants against the Secretary of the Societies in the sum of Rs. 25,000/- to the satisfaction of the arresting Officer, in exercise of our powers and in terms of the provision of Section 19 (4) (a) of the National Green Tribunal Act, 2010 read with Order XVI Rule 10(3) and Section 151 of Code of Civil Procedure, 1908, for their production before the Tribunal on the next date of hearing. The bailable warrant shall be executed by the SHO of the concerned Police Station.

The remaining 7 Noticees are present personally or represented through their Advocates. They pray for time to file their replies. Replies be filed within two weeks from today with advance copy to all the Learned Counsel appearing in this case.

List these cases for hearing on 15th May, 2017.

We direct Ministry of Environment, Forest and Climate Change as well as Registry of National Green Tribunal to put up inspection report on its website within two days from today. Any of the Noticees who have not received and/or not aware about the report of the Committee constituted by the Tribunal can access the report from the site and should file their replies as already directed.

Item No.
01-03
April 25,
2017

ss

Despite the time granted under the judgment and by the subsequent orders passed by the Tribunal, State Governments and Union Territories have not filed their comprehensive Status Report and Action Plan for compliance of the directions contained in the Judgment of the Tribunal in the case of Almitra H. Patel & Anr. Vs. Union of India & Ors. in Original Application No. 199 of 2014. There is no justification for the parties concerned and all the State Governments not to file such report.

The Learned Counsel appearing for the Central Pollution Control Board submits that they had received reports from some of the States they found serious deficiencies/shortcomings as given in para (5) and the Central Pollution Control Board has already written to the various State Governments to rectify such deficiencies and provide complete and comprehensive statements. The cut-off date/month provided was March, 2017, which is already over, however, in the interest of justice, we still grant last opportunity of two weeks for all the State Governments and Union Territories to file their Status Reports and Action Plan. All the concerned States which have filed their report to Central Pollution Control Board should rectify the defects/deficiencies as reported by Central Pollution Control Board within the same period.

We make it clear that in the event of non-compliance now, each State/Union Territory shall be liable to pay cost of Rs. 1 Lakh, which shall be recovered from the salary of the erring officers of the concerned Governments/Union Territories.

Vide our order dated 12th January, 2017, we had issued Show Cause Notice to all the State

Item No.
01-03
April 25,
2017
ss

Governments/Union Territories, as to why Tribunal should not pass directions requiring authorities to strictly adhere to the doctrine of Sustainable Development in its true concepts. Further, while upcoming developing projects, industrial, residential and commercial, why directions be not issued to commence its work until and unless the development plans will provide collection, processing and disposal of municipal solid waste in accordance law and they are also to have their own sewage system plant.

Unfortunately, till today, though more than sufficient time has expired, no reply to Show Cause has been filed except by the State of Maharashtra, State of Nagaland, Union Territory of Lakshadweep, State of Punjab, Administration of Andaman & Nicobar, State of Sikkim, State of Mizoram, State of Assam, State of Bihar, State of Himachal Pradesh, State of Kerala and State of Meghalaya.

These cases would be listed on 15th May 2017.

We have heard the Learned Counsel appearing for various States and Union Territories including the one who have filed their replies. It is commonly conceded before us that all construction projects particularly which have larger area, should be directed to construct their own STP and should have complete mechanism for collection, transportation and disposal of municipal solid waste in accordance with Solid Waste Management Rule, 2016 that are comprehensive enough and provide complete mechanism in that behalf. Besides that some State Governments have issued guidelines where they have required the builders of buildings where the constructed area is more than 4000 Sq. Mtrs. to have their own

Item No.
01-03

April 25,
2017

89

facilities. These mass generators of waste are under statutory as well as corporate social responsibility to ensure that they do not throw untreated sewage, domestic/commercial waste and municipal solid waste in the open areas or in the water bodies and the Dhalaos without discharging their fundamental duties as contemplated under Article 51(a)(g) of the Constitution of India. The interest of the environment which is in a public interest must not be permitted to undermined for the commercial interest. The builders of such huge constructions should be directed to put up such facilities not only in the interest of environment and public health at large, but even at their own interest.


Therefore, we hereby direct that no plans for building of constitution over 10,000 Sq. Mtrs. area which will cover for construction of any commercial, industrial and even residential area would be sanctioned by any legal authority in the entire country unless such sanction plan duly provided for setting up of an STP which shall bring sewage and domestic discharge within the prescribed parameters. Further such plan should duly provided for a complete and comprehensive system of collection, transportation and disposal of municipal solid waste strictly in accordance with the Solid Waste Management Rule, 2016.

This direction shall apply to all the pending sanctions as of today and to all cases without exception in future.

List these matters for further directions on 15th May, 2017.

Copy of this order should be circulated to all the Chief Secretaries of the State Government as well as the State Pollution Control Boards which in term shall circulate to all

Item No. 01-03	April 25, 2017	the local authorities. ,CP (Swatanter Kumar) JM (Raghuvendra S. Rathore) EM (Bikram Singh Sajwan) EM (Dr. Ajay A Deshpande)
--------------------------	---------------------------------	--



116



उत्तराखण्ड जल संस्थान अधीन 2सीड

4424

दिनांक 04/09/2024 30 ज०स०इ० 442348

ना पत्रिका सं०	श्रीमती गीता	विल की अवधि	3/0	विल वितरण की तिथि	04/09/2024	के पूर्व/आशिक
न संख्या	12052	जल स्तर/शुल्क	शुल्क सीट	सहचार्ज सर्विस चार्ज	अन्य प्राप्ति	योग
जल मूल्य	मीटर कियेवा	जल स्तर/शुल्क	शुल्क सीट	सहचार्ज सर्विस चार्ज	अन्य प्राप्ति	योग
						12,805/-


विल सं०..... दिनांक 04/09/2024

प्रभुता के रूप में धनराशि अंको में 18,805/- शब्दों में अठारह हजार के पूर्व/आशिक

न राशि रु० 18,805/-

ट राशि रु०.....

वरिष्ठ लेखाधिकारी



IN THE COURT OF National Green Tribunal.

Suit / Appeal No. O-A 211/2024 JURISDICTION OF 201

In re:- Sanjay Agarwal Plaintiff(s) Or Petitioner(s)
Appellant(s) Or Complainant(s)

VERSUS

State of Uttarakhand Defendant(s)/Respondent(s)/Accused

KNOW ALL to whom these Present shall come that I / We Respondent
Respect.

The above named Dr. Manish Khosla do hereby appoint

- Rohit Pandey D/1320-B/2002 Rohit
- Munish Agrawal D/4979/2015 Munish
- Adhyayan Gupta D/9699/2022 Adhyayan

(herein after called the advocate/s) to be my / our Advocate in the above - noted case authorize him/them :-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorising him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.


And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned to hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I / We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understand by me/ / us on this..... day of20..... Accepted subject to the terms of the fees.



Advocate

Client Identify The Signature/Thumb Impression Of Below Mentioned Person, Who Has Been Signed in My Presence. The Client.

Handwritten signature: Rohit / 17.11.



Adhyayan Gupta <adv.adhyayangupta23@gmail.com>

counter affidavit in O.A 211 of 2024 (for respondent no. 7, 8 and 10)

1 message

Adhyayan Gupta <adv.adhyayangupta23@gmail.com>

Thu, Nov 7, 2024 at 4:18 PM

To: "moef.ddn@gmail.com" <moef.ddn@gmail.com>, staffo-mirri-uk@gov.in, ddo-tehri@uk.gov.in, sanjay.agall@gmail.com



SANJAY AGARWAL 3 (1).pdf



SANJAY AGARWAL 2 (1).pdf



SANJAY AGARWAL (1) (1).pdf

counter affidavit in O.A 211 of 2024 (for respondent no. 7, 8 and 10)